

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्धन विभाग, जयपुर-302018 दूरभाष - 0141-2722520

क्रमांक: प.14(145)RSSB/अर्थना/CET Graduate/2024/3121

दिनांक: 06.08.2024

विज्ञापन सं. 10/2024

**समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) (स्नातक स्तर)-2024**

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिमिटेड/प्रांतीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 तथा संबंधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) 2024 के लिए निर्धारित प्रश्न में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:

क्रम संख्या	सेवा का नाम	पद का नाम
1.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा	प्लाटून कमांडर
2.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ लिंचवर्ड सेवा	1. जिलेदार 2. महसारी
3.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	अभियंता लेखाकार
4.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा	सहायक राजस्व लेखाकार
5.	राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक (नॉन-एग्रीकल्चर)
6.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक
7.	राजस्थान अराजगार अधीनस्थ सेवा	एग-एजेंट
8.	राजस्थान रानाज कल्याण अधीनस्थ सेवा	छात्रावास अभ्येक्षक ग्रेड-II
9.	राजस्थान राजस्व (गु-अभिलेख, गु-प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा	दस्तावेज
10.	राजस्थान विकास राज	ग्राम विकास अधिकारी
11.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा)	अभियंता लेखाकार

**नोट:-** राजस्थान अधीनस्थ एवं लिमिटेड/प्रांतीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम 2022 के अन्वय राजस्व (गु-ब) विभाग की अधिनियम दिनांक 18.11.2022 के क्रम में राजस्थान राजस्व (गु-अभिलेख, गु-प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा के महसारी, अभियंता लेखाकार एवं पर्यवेक्षक नाम विभाग की अधिनियम दिनांक 04.09.2023 के क्रम में राजस्थान विकास राज सेवा के ग्राम विकास अधिकारी एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीनस्थ अभ्येक्षक दिनांक 07.08.2023 एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सिमा, उपनिवेशन 1977 में संशोधन के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा) के कनिष्ठ लेखाकार पद को समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में शामिल किया गया है।

**समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:-**

- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 मात्र एक मात्र परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे भर्ती की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संयोजित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्जित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकारित अन्य कमीटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में सम्मिलित सेवाओं के नवीं पर भर्ती के लिये विभागीय नियमों एवं परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन अर्जाकार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी।
- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम को दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा उन सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, प्रकाशित किया जायेगा।
- समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निबंधन नहीं होगा। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये आगे वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा, अगर स्कोर की वैधता स्नातक नहीं हुई हो। पूर्व समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2022 की स्कोर की अधि परिणाम की दिनांक से एक वर्ष पूर्ण हो जाने या समाप्त हो चुकी है।

5. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.08.2024 द्वारा समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित अधीनस्थ और जैविकवर्गीय सेवाओं के पदों पर शीर्षक वर्गों को शामिल करने वाले किसी नियम में अतिरिक्त किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर उद्योग के लिए सम्पत्ति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि, वह सीईटी (स्नातक) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में, 5 प्रतिशत तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।
6. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि नहीं होगी जो उस पद पर भर्ती को शामिल करने वाले सुनिश्चित सेवा नियमों में गथा विहित है।
7. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि यदि कोई हो, के संबंध में अति पूर्ण करता/करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिये अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा साधना का पात्र नहीं बनावेगा।

**1. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:-** बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र किनारक/जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भर जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एसएसओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि पूर्व में OTR बना हुआ नहीं है तो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम स्वयं का OTR (One Time Registration) बनाना होगा, एकत्रतीय पंजीयन शुल्क जमा करना होगा एवं OTR E-KYC सेक्शन में अपना Live Photo व हस्तालिपि नमूने को अपलोड करना होगा। इसके लिये अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब का उपयोग कर लेंगे एवं OTR (One Time Registration) रजिस्ट्रेशन उपरान्तुसार पूर्ण करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकत्रतीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)) भेजी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से करें।

बोर्ड द्वारा इस परीक्षा से OTR (One Time Registration) में अभ्यर्थियों की लाईव फोटो खींचकर दर्ज किये जाने एवं अभ्यर्थियों की स्वयं की हस्तालिपि का नमूना अपलोड करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में OTR बना हुआ है तो उसे OTR को अपडेट करना होगा। अभ्यर्थी जब अपना ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारम्भ करेगा तो सिस्टम सर्वप्रथम उसी OTR (One Time Registration) स्क्रीन पर लेकर जायेगा। OTR (One Time Registration) स्क्रीन पर उसे OTR E-KYC सेक्शन में Live Photo के अन्तर्गत Take Photo का बटन मिलेगा। इस बटन की उपयोग में लेकर वह कम्प्यूटर पर लगे कैमरे से स्वयं की लाईव फोटो ले सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को Take Photo का बटन दबाकर उसी कैमरे के सामने इस प्रकार सीधा बैठना होगा कि उसका अधिकतम चेहरा फोटो में आवे व आँखों की पलकों को झमकाना होगा, तब कम्प्यूटर स्वतः ही उसका फोटो Capture कर लेगा। लाईव फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना आवश्यक है। अभ्यर्थी जब तक स्वयं की फोटो की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो जाता वह इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है। परंतु Live Photo व हस्तालिपि नमूने को एक बार Submit E-KYC करने के बाद उसे नहीं बदल सकेगा।

साथ ही समस्त अभ्यर्थियों से हस्तालिपि नमूने को अपलोड करवाना जायेगा। इस हेतु OTR (One Time Registration) स्क्रीन पर Hand Written के अन्तर्गत सेम्पल फाइल का लिंक मिलेगा, इस लिंक को click कर अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित हस्तालिपि नमूने का निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा। इस प्रारूप को इन्होंने लिख निर्देशों के अनुसार अपनी हस्तालिपि में भरकर SSO ID, OTR Number भरकर हस्ताक्षर करके OTR E-KYC के Hand written सेक्शन के अन्तर्गत Choose File का बटन click कर अपलोड करना होगा। आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) में अपलोड की गई हस्तालिपि, लाईव फोटो व पासपोर्ट साइज फोटो के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि फोटो धुंधले/अस्पष्ट अथवा काट-छाट कर अपलोड करी गयी जाती है तो आवेदक की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर निरस्त की जाकर उचित कार्यवाही की जायेगी।

OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) भी अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिह्न (visible body mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, समीक्षकों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित स्थापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा:-

1. अधिकतम अर्हता प्राप्त करने-



- यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जनरेट करता है, तो और किसी सत्यापन का आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि OTR (One Time Registration) SSO/जन-आधार के माध्यम से जनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा -
  - o आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जाये।

ii. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी।

घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल दिवरण) को सत्यापित करेगा :-

- i. मूल प्रमाण पत्र विकल्प—उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र का कमांक दर्ज करेगा उसके पश्चात् (रखे) नया पत्र बिलक करके पर डीमिसाइल/वोनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) को डेटा से सत्यापित किया जाएगा।
- ii. डिजिटल/केके माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प—उम्मीदवार अपने दस्तावेजों कक्षा के गेटों का नाम, रोल नं० या तत्समार्थ पर दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा।
- iii. यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं को विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी—“मैं अपनी प्रोफाइल दिवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर बयामेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगा/होऊँगी”।

सूचानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात् उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ प्रदर्शित रहेगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सत्यापनी पूर्णक करनी होगी। ई-मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती को आवेदक की गलती माना जाएगा। आवेदन पत्र को Final Submit करने ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन कमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

2. अभ्यर्थी एकवचनीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य मोडल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
3. अभ्यर्थी एकवचनीय पंजीयन शुल्क को सुगतान आवेदन की अंतिम तिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ताकि किसी प्रकार की सुगतान संबंधित Transaction के लक्षित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
4. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जागी है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
5. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
6. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
8. अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की नि:शुल्क सुविधा है।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/दिलोना को स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा। जहाँ आवेदक सावधानीपूर्वक अपने शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में भरें।
10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।
11. समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट [rsmssb.rajasthan.gov.in](http://rsmssb.rajasthan.gov.in) एवं [rspb.rajasthan.gov.in](http://rspb.rajasthan.gov.in) के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस गती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।



2. एकवारीय पंजीयन शुल्क:- कार्यालय विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकवारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मिल कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से क्वान बोर्ड को ऑनलाइन जमा कराना।

(क) सामान्य वर्ग व क्षीमेतर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रूपये 800/-

(ख) राजस्थान के नॉन क्षीमेतर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - रूपये 400/-

(ग) क्वान्ट डिप्लोमा के आवेदक हेतु - रूपये 400/-

नोट:-

1. राजस्थान राज्य से गिनन अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।

2. पूर्व में एकवारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा कराया चुके अभ्यर्थियों से पुनरा शुल्क देय नहीं होगा।

3. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के अन्तर्गत विभाग के पदों के नाम का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम
1.	पूरा रक्षा विभाग	जादूदूत क्वान्टर
2.	ग्राम विकास विभाग	1 जिलाधीन 2 पंचायती
3.	कोष एवं लेखा विभाग	कनिष्ठ लेखाकार
4.	राजस्व मन्डल	सहायक राजस्व लेखाकार
5.	महिला अधिकारिता	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)
6.	संगठित घाल विकास समारं	पर्यवेक्षक
7.	लाभकार विभाग	उप-नेतार
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	छात्रावास अधीक्षक पंज. II
9.	राजस्व मन्डल	पंचायती
10.	राजस्थान पंचायती राज	ग्राम विकास अधिकारी
11.	राजस्थान राज्य कृषि विभाग बोर्ड	कनिष्ठ लेखाकार

नोट:- बोर्ड द्वारा संबंधित पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी करते समय विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या दर्शायी जायेगी।

विशेष सूचना:-

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

2. कार्यालय (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष व रीथा भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्कर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात इसी आधीत की गई रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा।

पत्राचार और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित सेक्टर के अनुसार पदों के आरक्षण का प्रमाणित नहीं करेगा और सेक्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या पश्चात्कर्ती अनुसूचित जनजातियों के उम्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्कर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

3. राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

4. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण सेक्टर (Horizontal) प्रमाणानुसार (Category wise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण स्तर संबंधित प्रदर्शन में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समाविष्टित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (आरक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्षीमेतर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5. महिलाओं हेतु आरक्षित पदां ग पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परिव्रता (विवाह-विधिन महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा आर्यी उपलब्ध नहीं होती है तो विभाग के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परिव्रता (विवाह विधिन महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिव्रता आर्यी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये

आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पक्षों संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में स्वाम्न प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री संबंधित पद के लिये मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।

6. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ2 (12)/दिपि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल व्यक्तियों (नॉन क्रोमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ/ (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार समान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुरू के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
9. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
10. बांस जिले की सहरिया आदिग जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलग में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांस जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक म-13(20) कार्मिक/क-2/81पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

11. भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक -

(1) प्रतिक्षा (थल, जल, वायु सेवा) सेवानुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये और कि उसकी सेवानुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिक्षा सेवा से सेवानुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र बुरा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) कार्मिक/क-2/81 नॉट-II दिनांक 17.04.2018 तथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार नवधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-बीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने स्वाम्न प्राधिकारी से निरक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उक्त अनुक्ति निवृत्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरक्षण प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और पदाधिकारी सेवानिवृत्ति से पूर्व व्यक्तित्व हो जाता/जाती है तो निवृत्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को स्थगित कर सकता और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-बीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।"

"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हक करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निर्दिष्ट किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।

किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य को अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रस्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा को किसी पद पर पुनर्वापन तयकाल करता है उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त बनना जायेगा, परंतु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के

संबंध में, 1984 नियमों में निम्न पद का अनुवाद भी निर्धारित किया गया है, किरी अंतर्गत सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार स्थापित हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और के यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक का राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन को तालीख वर श्रुती के बने में स्वयं घोषणा पत्र/बचनकार देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रदर्श के प्रावधान से विवृजित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक लिये राजस्थान सरकार के अधीन नौकर/समेत/असमई/तबय आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रदर्श के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा।

12. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1.5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विछडा वर्ग/अति विछडा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु नग-एव उपयुक्त आवेदक उन्मुख नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति परचातवर्ती तब के शिर अवगीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अर्घवी आवेदन करे जो कार्गिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इससे भिन्न योग्यता रखने वाले अर्घवी को उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर कदम पर विचार नहीं किया जायेगा।

**उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान:-** क्रमिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और निम्नो -

1. एक सारणी के स्तम संख्याक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अन्तर्राष्ट्रीय के स्तम संख्याक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्था में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट / चैम्पियनशिप का नाम
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ओलम्पिक खेल)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.ओ.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.डी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (एस.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स / चैम्पियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्था में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्था में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्था में मेडल जीता हो ;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/गैस ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद को नेशनल चैम्पियनशिप/गैस नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैस गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्था में सर्व स्थान का प्रतिनिधित्व किया हो ।

नोट:- कम्पा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में ही अर्घवी आवेदन करे जिसके पास उपर्युक्त विन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हो। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर भिन्न योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो वे उसे वापस लेके आवेदक के विरुद्ध कार्रवाही में ली जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र संबंधित पद के लिये मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।



### 13. दिव्यांगजन (नि:शक्तजन) के लिये :-

- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आस्था का लाभ देव है—
  - B/LV (Blindness/ Low vision)
  - HI(Hearing Impairment)
  - LD/CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
  - Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
  - Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts Identified for each disabilities.

नोट:- परंतु संबंधित विभाग द्वारा पद विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट/शिथिलता लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस संबंधित पद के लिए योग्य माना जायेगा।

- दिव्यांगजन के लिये दशाए गए आरक्षित पदों का आक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अन्धधर्मी किस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अरिजल रूप से समझाए वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समाविष्ट किया जाएगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त श्रेणी के दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से पूरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति अगली भर्ती वर्ष में अधिभारित की जाएगी और यदि अगली भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त श्रेणी के दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथम दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर्परिवर्तन (Interchange) कर करा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोजित पद रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकता है।
- दिव्यांगजन आवेदक Online application form में दयास्थान आने वाले एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष या अवयव उल्लेख करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संबंधित पद के लिये मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
- एसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार सन्तुष्टि सख्खर द्वारा निर्धारित विधिवत प्रक्रियाओं के द्वारा प्रदत्त रवाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान नि:शक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) के प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यता हो, पर ही अन्धधर्मी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 4(8) में दिए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रयोगी परीक्षा अर्हता करने के लिए एक प्रमाणपत्र में सन्तुष्टि अर्हक जनता अंक/या कुल अंक, जहाँ कहीं भी निर्दिष्ट किये नये हो, तो पात्र प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को देना आवेगा।"

### 4. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-कार्यक्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 एवं 13.10.2022 के अनुसार स्नातक स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिये शैक्षिक अर्हताएँ "स्नातक या उसके समतुल्य" होगी।

नोट:- सीईटी में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती को शक्ति करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित है। स्नातक स्तर की सीईटी में सम्मिलित सेवाओं के लिये मुख्य परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में विभागीय नियमों के अनुसार उल्लेखित शैक्षणिक योग्यताएँ एवं आयु सीमा का प्रावधान संबंधित पद के लिये जला से लागू होगी।

जो व्यक्ति पात्रता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या संबंधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त पदों एवं/या सेवाओं को अपेक्षा शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा-

- मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और लक्षात्कार के दो वर्गों का माध्यम से चयन किया जाता है,
- समाप्ति में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और लक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
- लिखित परीक्षा या लक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल लक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, तब भी समान है।

समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अन्यथा आवेदन कर सकते परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल पदों की भर्ती हेतु आवेदित नहीं में पात्र नहीं माना जाएगा।

### 5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- अनुसूचित क्षेत्र के एक रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदन अंतर्गत आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के वॉलेंट में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के वॉलेंट में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अपेक्षित है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भाव निवासी है और जो स्वयं या यदि उत्पन्न जन 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके मात-पित/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भाव

विनाही रहे है। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इ-के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाद द्वार संबंधित है और वह अपने विवाद के बाद से अदरुचित क्षेत्र का सदस्यी विभागी है।

2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विलंब अनुसूचित क्षेत्र के नियुक्ति भी आवेदन कर सकते। यदि अग्रथी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अग्रथी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा फिर क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अग्रथी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जाएगा।
3. अदरुचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2018 के अनुसार की जायेगी।
4. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं तत्सम श्रेणी राज (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अन्तर्गत होगा। जहाँ पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहाँ पर संबंधित विभागीय नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
5. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा लघु समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ 13(2) 80 एस्-1 दिनांक 12.02.1991 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम से कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमंक P.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के निदेश एवं न्याय मंत्रालय (विद्यार्थी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को रिक्रिड (Rescinds) करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिर्दिष्ट (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलन में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें। नोट-अनुसूचित क्षेत्र के अग्रथियों के लिए पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन करने एवं आवेदन में त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, निधुक्ति की अभाव, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं रूकींग संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान सशक्त लागू होंगे।

#### 6. राष्ट्रीयता :-

- (अ) भारत का नागरिक हो या
  - (ख) नेपाल का प्रवाजन हो या
  - (ग) घुटान का प्रवाजन हो या
  - (घ) ऐसा निरक्षरी शरणार्थी जो दिनांक 1-6-2 से पहले भारत ने स्थाई रूप से बसने के विचार से अथा था, य
  - (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बमा, श्रीलंका, पूर्वी जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, युगोस्लाविया और संयुक्त राजस्थान गणराज्य (भूतपूर्व वेस्ट जर्मनी तथा जर्मनी), जापान, मालदीव और इथियोपिया से भारत में स्थायीकरण कर लिया हो।
- नोट-भारतु शर्त यह है कि पत्र (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित शर्तियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### 7. आयु:-

- आवेदक समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024 के लिये 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमंक एफ 13/क/कार्मिक/क-1/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "किस वर्ग एवं श्रेणी में कोई भी व्यक्ति के पत्र के लिये नहीं होंगे जो और यदि कोई आवेदक उस वर्ग की शर्तों में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।"
- नोट- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024, इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान एवं विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार लागू होंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देय होगी :- "The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :-
  - (क) नानास वर्ग की महिला अग्रथियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
  - (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मुख्य अग्रथियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
  - (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अग्रथियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. इस सीमा के किसी पद पर आवेदक निरुक्त शक्ति अथवा प्राथमिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में सम्मिलित माना जायेगा यदि वे विभाग के तत्सम आर्थिक स्थिति के समय इस पर कर चुके हो और यदि वे उनकी प्राथमिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अग्रथ देय जायेगा।

3. एतापूर्व सेवा जो वर्धित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नौबिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
  4. इस शून्यूर्व सेवा के मामले में जो अपने योग्यता के तुर अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कार्यालय की कक्षाओं के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
  5. एन.सी.सी. के कैडेट प्रवेशकों के मामले में उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कक्षाओं के बराबर छूट दी जायेगी और यदि परिणामिक आयु निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उक्त निर्दिष्ट आयु सीमा में ही समाप्त जाएगा।
  6. राजस्थान राज्य के शिवालयों के संघ में सेवानिवृत्त कर्मचारी जो उपरोक्त (Substantive) स्थिति से कार्य कर रहे हैं की जाती आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेंट अवस्थाई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी।
  7. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के तार्वजनीक क्षेत्र के उच्चकोटि/पैमानों के कार्यकर्ताओं के संघ में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
  8. विदेशीय इमारतें/जमीन/ऑफिस/रोट/रफिश/जमीन/रोट में कर्मचारी प्रवेश करने जायें यदि इस पद के लिए इत समय न हो, तो सेवा से रिहा होने के बाद विमान के समय उपस्थिति के समय तब वे आयु सीमा पर कर चुके हो पायें समाप्त जायेंगे।
  9. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
  10. बंग और श्रीलंका से 01.05.1963 को या इसके पश्चात पूर्वी अफ्रीकी देश जॉनिया, टोंगानिका, युगाण्डा और जंबोया से संस्थापित व्यक्तियों के मामले में उपस्थिति उमरी आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा साथ ही अनुरोधित जाते या अनुरोधित जन जाते के अनुरोधों के मामले में उसे 05 वर्ष और शिथिल किया जायेंगे।
  11. पूर्वी अफ्रीकी देश जॉनिया, टोंगानिका, युगाण्डा और जंबोया से स्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
  12. आयोग के कार्य-हीन के मातर न जाने तब पदों पर नहीं के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी शिथिल के अन्तर में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छूटनी कर दी गयी थी, ऊपर आयु सीमा 35 वर्ष होगी शर्त के वे उन पदों पर, जिन पर वे उनकी प्रथम: छानने की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब तक नहीं के समाप्त शिथिल नाशने की सम्बन्ध तब से अनुपालना कर ली जाये और जहाँ तब, विदेशीय अराजकता आदि से सम्बन्धित सम्बन्धित व्यक्तियों की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छूटनी शिथिल कर या अपचार के कारण नहीं हुई हो और वे शिथिल शिथिल व्यक्तियों द्वारा दिया गया अवधि सेवाओं का प्रमाण प्रस्तुत कर दें।
  13. विधायक और विधायक-विद्युत महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई सेवायुक्त आयु से तबकी आयु कम हो।
- स्पष्टीकरण:** विधायक महिला के मामले में उक्त किसी तबकी शिथिलों का अपने पदों की मृत्यु का समाप्त-पद प्रस्तुत करना होगा तथा विधायक-विद्युत महिला के मामले में विधायक शिथिल का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
14. भूतपूर्व सेवा कर्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेवा कर्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आदेशित पदों के संबंध में राजस्थान निर्दिष्ट सेवा (एतापूर्व सेवकों का अंगण) नियम, 1998 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 60 वर्ष की आयु लागू नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सेवा कर्मिकों/वैर तक या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दृष्टि में उक्त आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। शून्यूर्व सेवकों के सिधे आयु में समाप्त के प्रधान कर्मिक विभाग की अधिकतम उच्चतम आयु (18) वर्षिक/क-2/94 पार्ट/II दिनक 17.4.2018 एवं दिनक 22.12.2020 के अनुसार ही लागू होगी।
  15. राजस्थान विद्यालय अधिकार (सशोधित) नियम-2021, के नियम 4(A) में किए गए प्रधान के अनुसार संबंधित सेवा विभाग में निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा में विद्यालयों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जायेगी। विद्युत शिथिल के विद्यालयों का आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्दिष्ट आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:-

(क) आयु शर्तों छूट की अधिक जानकारी के लिये संबंधित विभाग के उपरोक्त नियमों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ख) समस्त जेडू 7 की कल. 1 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रधान "Non Cumulative" है अर्थात् अन्तर्निहित का उपरोक्त कल. 1 से 15 में वर्णित किसी भी एक प्रधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

### 8. पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

(क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकवारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मिड फियोरक जन सुवेण कन्ट (C.S.C.), नेट बैंकिंग एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 09.08.2024 से दिनांक 07.09.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2024 से दिनांक 07.09.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर परें जा सकते हैं (इसके उपरत शिथिल निश्चित हो जायेंगे)। आवेदकों को साहस दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक की हत्या कर दिए बिना समाप्त सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।



**9. परीक्षा आयोजन:**—रजत पाठशाला परीक्षा (सनातन स्थान) की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 25.09.2024 से दिनांक 26.09.2024 तक आयोजित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इन सभ्य में विद्युत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेश विज्ञापन के माध्यम से अलग से सूचना दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यकरण (Normalization) की कार्यवाही की जायेगी।

**10. प्रवेश पत्र:**—बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किये जायेंगे। बोर्ड द्वारा जारी से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना साप्ताहिक पत्र एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जायेगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एच एस सी डी पदान में रखें। सफलता संशोधन एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाईल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

### 11. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जोड़िया पत्नी हो तयनात किए जान या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उक्त पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जोड़िया पत्नी है नियुक्ति के लिये मान नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह कंसमग कोई बहल स्वीकार किया हो।
- (4) पारिविक विधान की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु
  - i. जो दो अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरक्षित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उम्र संख्या में जो 1 जून, 2002 को है प्दात्तरी नहीं होती है।
  - ii. जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोक्त प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चातवती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती हैं वहाँ संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
  - iii. किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निशकता से उत्पन्न हो।
  - iv. कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी दिवंगत पत्नी के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरक्षित नहीं है, उसे निरक्षित नहीं किया जावेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
  - v. इस उप-नियम के अन्वय किसी विधवा और विधिवन्-विवाह महिलाओं को नियुक्ति पर जन्म नहीं होगा।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हटाने/अक्षित (अपने आप को अलग व्यक्ति होने कतान) करने या काट-छाट किए हुए वाली परराज्य नेशन करने या मलत बयान देने या गलतपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काय में लगे या लेने का प्रयत्न करने या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का आरोप जोषित किया हो, यह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का पक्षीयकारी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जावेगा।

### 12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु विशेष निर्देश:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

**नोट-** राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की फीमिलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान सभ्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (फीमिलेयर एवं नॉन फीमिलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

**ध्यान दें:-**

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक तक ही रवीकार किए जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व उक्त सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के विधानानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पत्र के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित परीक्षक में सही सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण



एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही माना एवं परीक्षा में अर्थाई अवधि दिया जाएगा। इसको रजिस्ट्रार जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से गिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी तरह पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत(Submit)करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form अति की अंतिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वह विशेष का लाभ विजायित नहीं हेतु देव नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी निर्णय-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- किसी भी उचितोपेक्षा/पात्रता परीक्षा में वदित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वदित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्रारंभ की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस वर्ग हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
- बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (अर्ह, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अयोग्य माना जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रतिक्रिया में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस संबंध में कोई प्रयोग पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होने से आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनंतिम (Provisional) रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने के यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रतिक्रिया बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अर्थाई रूप से योग्य होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र प्रीम् में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयंसेवित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की जांच नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी को अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

#### 8- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

##### फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
- आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 01 माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। नोबार्डल व अन्य समय स्थित फोटो का उपयोग नहीं करें।
- फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा एक बिर किसी भी कपड़े, छाया, चालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का बिर आंखें, नाक और लीडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचते समय चश्मा पहन लयते हैं लेकिन चश्मे पर रजक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की फोटो में काला या धुंध का चरना नहीं होना चाहिए।
- फोटो जैगईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साइज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
- फोटो जैगईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
- फाइल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
- स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- परीक्षा के समय नवश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य घोषणा जा सकता है।

##### 9. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के रज से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक ग्रैप करने के पश्चात् अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक की हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य घोषणा जा सकता है।
- केवल जैगईजी (JPEG) प्रारूप का स्वीकार किया जाएगा।



7. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सल 560 × 160 होना चाहिए।
8. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
9. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
10. मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विशेष टिप्पणी:-

1. परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली दिज्ञप्ति में बताई जावेगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुड़दंग, मत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़छानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपैन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोकॉपी मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र डी कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
4. जिरा परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2018 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिरा में आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ट्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

**13. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया** - बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी दिज्ञप्ति दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर क्लिक कर चयन दर्जना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नहीं होने वाला उसके OTR में स्या ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में यचित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के कारणों ही ऑनलाईन आवेदन में यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सवर्गित कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उस स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने है तो पहले उसे OTR पेज पर आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह यचित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है, शेष परिवर्तितियों में संशोधन किया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में ही संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् शैक्षणिक योग्यता के कोला में बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम, रोल नं., पत्नी/पति एवं इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकता। बोर्ड द्वारा जारी कार्यलय आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन को लिये One Time Registration (OTR) में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एकबारीय संशोधन की अनुमति दी गयी है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में यचित संशोधन कर लेवे। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन में यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सवर्गित कर चुका है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले, OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में ऑनलाईन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में यचित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समाप्त ही होगी।



- ii. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा प्राधिकरण के पर्याप्त ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निर्धारित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना सूचक रो बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। तब निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान मुनाफान कर संशोधन कर सकेगा।
- iii. इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

**14. ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहारित करने की प्रक्रिया**—बोर्ड द्वारा एक विज्ञापन में निर्धारित अवधि तक उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे। इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहारित किये जाने की सुविधा नहीं दी गई है। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा मात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।


**15. श्रुत लेखन की सुविधा**—सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान विद्यालय अधिकांश नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष बाध्यजन (निवृत्त) (Blind) सूच्युकी एवं अल्पदृष्टि कृतम 40 प्रतिशत दृष्टि निवृत्तता) या शारीरिक रूप से निवृत्त (जो ब्राह्म लडे हों या अनुश्रुति नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, जो परीक्षा में श्रुतलेखक सम्प्लक कराये जायेंगे, परन्तु अन्ततः दृष्टिबाधक लेखन करने से अर्थात् उन से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा दय नहीं होगी। श्रुतलेखक सम्प्लक करने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रत्येक पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व अनिवार्य परीक्षा कन्द्र के केन्द्रार्थी/अध्यक्ष के सम्पर्क उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वयंसांगित एक प्रति केन्द्रार्थी/अध्यक्ष को भी दी जायेगी।

**16. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम**—आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में सचता सुचना सही-सही प्रकृत करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्रार्थी/अभिजागर/बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी अथवा कार्यवाही द्वारा पत्र नये निर्देशों का अनिवार्य पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा कन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्रार्थी/अध्यक्ष को भी उचित समझे सम्मत कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (स्त्री) में अनुचित साधनों का रोकथाम के अध्याय; अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (स्त्री) में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा बलुयत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्चरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जायेगी।

**17. समान मात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम:-**  
**परीक्षा की स्कीम**

विषय विवरण	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तांत्रिक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी,कम्प्यूटर का ज्ञान, सामाजिक चेतना	150	300	03:00 HR

- नोट- 1. सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।  
2. किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का एक-तिहाई (1/3) भाग नकारात्मक अंकन (Negative Marking) काटा जायेगा।



## पाठ्यक्रम विवरण

### भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास :

- भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन-विभिन्न अवस्थाएँ, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनके योगदान
- 1937 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आन्दोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजासत्ताक आंदोलन
- स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण- राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांख्यिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास।

### राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत :

- प्राचीन सभ्यताएँ, कालीबंगा, जाहड़, नणेश्वर, बालाघर और वैरात
- राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्य व्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक आराग
- स्वयंसेवा कला की प्रमुख विधाएँ - किले एवं स्मारक, कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प
- राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतिया क्षेत्रीय बलिधा
- मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य
- राजस्थानी संस्कृति, परम्परा एवं विरासत
- राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, रात एवं लोक देवता
- महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल
- राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
- राजस्थान का एकीकरण।

### भारत का भूगोल :

- भौतिक चरित्रा पर्वत, नदियाँ, नगरस्थल एवं मैदान
- जलवायु एवं मानसून तंत्र
- प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर
- वन्य जीव जन्तु एवं अभयारण्य
- प्रमुख फसलें- गेहूँ, चावल, कपास, मक्का, चने एवं कोर्ण
- प्रमुख खनिज-लोहा, जस्ता, मैंगनीज, बॉक्साइट एवं लौह
- ऊर्जा ससाधन- परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
- प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश
- राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार

### राजस्थान का भूगोल :

- भूगर्भीय संरचना एवं भू-आकृतिक प्रदेश
- जलवायु वलार, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश
- रूपवाहक तंत्र, झीलें, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें
- प्राकृतिक वनस्पति
- वन्य जीव जन्तु एवं अभयारण्य
- नदियाँ
- खेती एवं खरीफ की प्रमुख फसलें
- जनसंख्या- वृद्धि, जनसंख्या, सामरता, एवं लिंगानुपात
- प्रमुख जनजातियाँ
- भौतिक एवं अक्षांशिक खनिज ससाधन
- ऊर्जा ससाधन- परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
- पर्यटन स्थल
- संचार के साधन- राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान

### राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :

- भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संरचना, अंगारकालीन व्यवधान, जनहित वाक्यिका।
- संविधान सम. भारतीय संविधान की विशेषताएं
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्, संसद, उच्चतम न्यायालय
- राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, विधायक एवं महासभा पदाधिकारी, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, स्थानीय स्वयंसेवक शासन एवं पंचायती राज।
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्य न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानव अधिकार आयोग, लोकसूचना, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग।

### भारत की अर्थव्यवस्था :

- बजट निर्माण, बेकिंग, लोक-वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संकट एवं विकास के अन्तर्गत जन
- राजकोषीय एवं मादिक नीतियाँ
- सखिमी, लोक वितरण प्रणाली
- ई-गवर्नंस
- अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र - कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्रा एवं चल।
- हरित प्रवृत्ति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति।
- पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली।
- प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की प्रवृत्ति, आर्थिक सुधार एवं समर्थन।

### राजस्थान की अर्थव्यवस्था :


- राजस्थान की खाने व प्राथमिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग
- वृद्ध सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएँ, बजट भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएँ, इन्दौर गन्धी नहर परियोजना
- उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग, विद्युत सार्वजनिक, राजस्थानी हस्तकला
- पर्यटन एवं बेरोजगारी-अवधारण प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान स्तरीय योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान।
- विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ, महात्मा गन्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA), विकास संस्थानों, सहाकारी अन्तर्गत, लघु, मध्यम एवं वित्तीय संस्थानों, संविधान के 73 वें संशोधन से अनुरूप गवर्णरी राज संस्थानों की प्राथमिक विकास में भूमिका।

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह
- विद्युत धारण, उष्ण, कार्य एवं ऊर्जा
- आहार एवं पोषण, स्वतः समतल एवं RH कारक
- स्वास्थ्य देखभाल: संक्रामक, अलसकर्मक एवं पशु-जन्य रोग
- पर्यावरणीय एवं परिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव
- जैव-विविधता, प्राकृतिक सत्ताओं का संरक्षण एवं सहायणीय विकास
- जन्तुओं एवं पादपों का अधिक महत्व
- कृषि-विज्ञान, उद्योग-विज्ञान, वाणिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में
- भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन
- अणु, क्षार एवं लवण, बर्लियम, वाइटर, खाने का सोडा, अम्ल अम्ल अम्ल, साइट्रिक एवं अम्लमयक

### तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता :

- Making series-analogy.
- Figure matrix questions, Classification.
- Alphabet test.
- Passage and conclusions.



- Blood relations.
- Coding-decoding.
- Direction sense test.
- Sitting arrangement.
- Input-output.
- Number Ranking and Time Square.
- Making judgments.
- Logical arrangement of words.
- Inserting the missing character-number.
- Mathematical operations, average, ratio.
- Area of Triangle, circle, Ellipse, Trapezium, rectangle, sphere, cylinder.
- Percentage.
- Simple and compound interest.
- Unitary Method.
- Profit & Loss.
- Average.
- Ratio & Proportion.
- Volume of sphere, cylinder, cube, cone.

### Language Knowledge :

सामान्य हिन्दी

- लघि और संधि विच्छेद
- सजा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, कारक अव्यय
- समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विच्छेद
- अव्यय एवं अव्यय
- विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं अनेकार्थक शब्द
- विरल शब्द
- ध्वनि एवं लक्षणा वर्गीकरण
- परिभाषिक शब्दावली (अंग्रेजी भाषा के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द)
- शब्द शुद्धि (अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण)
- वाक्य शुद्धि (अशुद्ध वाक्यांश का शुद्धिकरण)
- तुलनाएँ या लोकोत्तर
- संज्ञानामा हिन्दी - संवैधानिक लिखावे
- एक एवं उसके प्रकार - कर्मावली पर के अक्षर के विशेष अन्वय में ।

### Language Knowledge :

#### General English

- Use of Articles and Determiners
- Tense/sequence of Tenses
- Voice : Active and Passive
- Narration : Direct and Indirect
- Use of Prepositions
- Translation of Ordinary/Common English sentences into Hindi and vice-versa
- Synonyms and Antonyms
- Comprehension of a given passage
- Glossary of official, Technical terms (with their Hindi version)
- Letter writing : Official, Demi-official, Circulars and Notices.  
Note : Questions on letter writing will also be objective regarding the structure of a letter.
- Idioms and Phrases
- One Word Substitution

## कम्प्यूटर का ज्ञान :-

- Characteristics of Computers
- Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software- Relationship between Hardware & Software.
- Operating System
- MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point)

## समसामयिक घटनाएं

1. राजस्थान, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख सामाजिक घटनाएं एवं मुद्दे
2. वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं
3. क्षेत्र एवं क्षेत्रगत संबंधी गतिविधियां

\*\*\*

नोट:- बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट पर Candidate Corner पर अलग से भी अपलोड करवाया गया है।

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संकेत में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ऑ एमआर उत्तरपत्रक में नीचे विकल्प के संकेत में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं।

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E, अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. प्रत्येक प्रश्न के त्रिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोल गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेंगे।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.


4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोल गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किसी पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

18. **बोर्ड की वेबसाईट:-** अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) एवं [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के त्रुटि निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वगत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सम्बन्धित व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302016 को सम्पर्कित किया जावेगा।



(डॉ. बी.सी. बघाल)

सचिव